

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 169/2016/अजमेर
2. अपील संख्या 170/2016/अजमेर

मैसर्स रघुवीर मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०,
बिडिकिच्चावास, ब्यावर रोड, अजमेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

3. अपील संख्या 633/2016/अजमेर

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, अजमेर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स रघुवीर मेटल इण्डस्ट्रीज प्रा०लि०,
बिडिकिच्चावास, ब्यावर रोड, अजमेर।

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य
श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री एस.के.जैन,
अभिभाषक।

.....व्यवसायी की ओर से

श्री जमील जई
उप राजकीय अभिभाषक।

.....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19.09.2016

निर्णय

1. अपील संख्या 169/2016 व 170/2016 अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा एवं अपील संख्या 633/2016 विभाग द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने पर अधिनियम की धारा 83 के तहत विवादित किया है, इसके साथ ही विभाग द्वारा भी अधिनियम की धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है, अपीलों का विवरण निम्न तालिकानुसार है :-

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपीलीय अधि. का आदेश दि.	कर निर्धारण आदेश दिनांक	कर निर्धा.वर्ष	कर	शास्ति	ब्याज
169/16	133/वेट/14-15	09.11.2015	26.09.2014	09-10	80,26,095	1,60,52,190	47,35,396
170/16	134/वेट/14-15	09.11.2015	26.09.2014	10-11	53,34,262	1,06,68,524	26,13,789
633/16	134/वेट/14-15	09.11.2015	26.09.2014	10-11	-	28,89,377	-

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है, निर्णय की एक-एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

Amir Khan
19/09/16

h

लगातार.....2

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि "Directorate General of Central Excise Intelligence, Delhi (जिसे आगे "DGCEI" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किया गया था। इसी क्रम में DGCEI द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कारोबार से संबंधित ट्रांसपोर्टर्स व अन्य व्यवहारियों के यहां भी search operation/follow up search किया गया था। DGCEI द्वारा सर्वे ऑपरेशन के दौरान ट्रांसपोर्टर्स के यहां उपलब्ध दस्तावेजों को अभिग्रहित किया गया था। विभाग को यह सूचना प्राप्त होने पर कि अपीलार्थी फर्म द्वारा कतिपय माल का विक्रय/डिस्पैच बिल जारी किये बिना ही किया गया था जिसके लिये केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा वाद संस्थापित कर अपीलार्थी व्यवहारी के विरुद्ध दिनांक 31.12.2012 को आदेश पारित कर वित्तीय वर्ष 2009-10 व वर्ष 2010-11 में राजस्व करापवंचन के अभियोग स्थापित कर, मांग सृजित की गयी थी।

4. वाणिज्यिक कर विभाग को केन्द्रीय उत्पाद विभाग द्वारा उक्त की गई कार्यवाही की सूचना प्राप्त होने पर DGCEI द्वारा अभिग्रहित दस्तावेजों की प्रतियां विभाग के अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाकर वैट की करवंचना सम्बन्धित मामले में जांच की गयी। इस क्रम में अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर जाकर जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2014 को निदेशक श्री सुनील पोखरणा से DGCEI द्वारा की गई कार्यवाही एवं उनसे प्राप्त दस्तावेजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई साथ ही चूंकि जांच पुरानी समयावधि की होने से संबंधित लेखा पुस्तकें बाद में जांच हेतु प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 01.08.2014 को DGCEI की रिपोर्ट में वर्णित ट्रांसपोर्ट कम्पनी मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री मोइन खान के बयान लेखबद्ध किये। तदनुरूप उन्होंने अवगत करवाया कि उनकी कम्पनी कमीशन पर पार्टियों को ट्रक उपलब्ध करवाती है। दिनांक 14.09.2010 को DGCEI द्वारा उनकी ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जांच की गई थी एवं यहां से रिकार्ड सीज किया गया था। DGCEI द्वारा प्रदत्त दस्तावेजों से संबंधित जानकारी चाहने बाबत श्री मोईनखान ने कथन किया कि मूल रिकार्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है एवं पूछताछ पर श्री खान ने अपनी ट्रांसपोर्ट कम्पनी में बुकिंग आदि प्रक्रियों के विवरण से अवगत करवाया। दिनांक 21.08.2014 को भी मैसर्स न्यू विकास कम्पनी अजमेर के व्यवसाय स्थल पर जाकर प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच रिकार्ड तैयार की गई। इस संबंध में अपीलार्थी फर्म के निदेशक श्री सुनील पोखरणा एवम् ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री मोईन खान से पूछताछ की गयी एवम् ट्रांसपोर्ट कम्पनी के व्यवसाय स्थल से जब्त दस्तावेज का सत्यापन श्री मोईनखान से करवाया गया।

5. अपीलार्थी फर्म का माल ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा नियमित रूप से परिवहनित किये जाने संबंधी जांच एवम् रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न स्थानों पर भेजे गये माल का विवरण तैयार कर अपीलार्थी फर्म के बहियात से मिलान करने पर पाया कि वर्ष 2009-10 में 8644.989 मैट्रिक टन एवम् वर्ष 2010-11 में 5561.2 मैट्रिक टन माल जो ट्रांसपोर्ट के जरिये डिस्पैच हुआ था, उसके बिल जारी नहीं पाये गये। उल्लेखनीय है कि सत्यापन रिपोर्ट में अंकित कई बिल जारी होने पाये गये, परन्तु कुछ माल के बिल जारी नहीं थे। जांच अधिकारी ने उक्त तथ्यों के संबंध में अपीलार्थी को अपना सपष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया। जारी नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब की जांच पश्चात् उक्त कृत्य को करापवंचन का प्रकरण होना अवधारित कर, प्रकरण को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्धारण

[Handwritten Signature]
19/09/16

[Handwritten Signature]

लगातार.....3

अधिकारी को प्रेषित किया। निर्धारण अधिकारी ने उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर करापवचन का कृत्य अवधारित कर, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 25, 55, 61 के तहत कार्यवाही प्रस्तावित कर, नोटिस जारी किया। जिसकी पालना में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जिसे, निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी के रजिस्टर्स में अंकित प्रविष्टियों का आंशिक मिलान व्यवहारी द्वारा जारी किये गये विक्रय बिलों से करने पर यह प्रमाणित होता है कि जिन डिस्पैच के संबंध में विक्रय बिल जारी किये हैं वे तो नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज हैं एवम् शेष विक्रय/डिस्पैच की प्रविष्टियां अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं की गयी हैं, वस्तुतः यह संव्यवहार उच्चन्त बिक्री से संबंधित है। निर्धारण अधिकारी ने यह अवधारित किया कि ट्रांसपोर्टर द्वारा सभी बिल्टियों में अपीलार्थी व्यवहारी का नाम, माल की मात्रा एवम् गंतव्य स्थान बिना संव्यवहार हुये अंकित नहीं किया जा सकता था। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने उच्चन्त विक्रय किये गये टीएमटी सरिया वर्ष 2009-10 में रू. 20,06,52,371/- पर 4 प्रतिशत की कर दर से कर, अधिनियम की धारा 61 के तहत कर राशि की की दोगुना राशि की शास्ति व अनवुर्ती ब्याज आरोपित कर, आदेश पारित किया।

6. इसी प्रकार समान कार्यप्रणाली (*modus operendi*) के अनुसार निर्धारण वर्ष 2010-11 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मार्फत टीएमटी सरिया वजन 5581.2 एमटी जो कि 4 प्रतिशत की कर दर से कर योग्य है, कीमतन रू. 24,45,74,250/- डिस्पैच/भिजवाया जाना पाया गया जिसका सत्यापन अपीलार्थी नियमित संधारित लेखा पुस्तकों से नहीं करवा सका। DGCEI की जांच के आधार पर जांच अधिकारी ने यह अवधारणा बनायी कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर ऑयरन स्क्रैप व टीएमटी सरिया कीमतन रू. 1,44,46,887/- अघोषित रूप से पाया गया। उक्त जांच के अनुसार नियमानुसार पत्रावली सशक्त अधिकारी को प्रेषित की गई। वर्णित तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर सशक्त अधिकारी ने उच्चन्त विक्रय किये गये टीएमटी सरिया रू.13,33,56,552/- पर 4 प्रतिशत की कर दर से कर, कर की दोगुना शास्ति व अनवुर्ती ब्याज आरोपित कर, आदेश पारित किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर ऑयरन स्क्रैप व टीएमटी सरिया कीमतन रू. 1,44,46,887/- अघोषित रूप से पाये जाने पर उक्त पर धारा 75(8) के तहत 20 प्रतिशत शास्ति आरोपित कर, निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंध में दिनांक 26.09.2014 को आदेश पारित किया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त दोनों अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 09.11.2015 द्वारा व्यवहारी की अपीलें अघोषित पाये गये माल पर आरोपित शास्ति रूपये 28,89,377/- के बिन्दु पर अपील स्वीकार की गई, परन्तु करापवचित बिक्री पर आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति के बिन्दुओं पर अपील अस्वीकार कर दी। उक्त अपीलीय आदेश दिनांक 09.11.2015 से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष दोनों अपीलें मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करते हुए समन्वय खण्डपीठ द्वारा अपने आदेश दिनांक 05.04.2016 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया।

Amrinder Kumar
19/04/16

h

7. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 09.11.2015 से व्यवहारी की अपील वर्ष 10-11 में अघोषित पाये गये माल पर शास्ति अन्तर्गत धारा 75(8) रूपये 28,89,377/- के बिन्दु पर स्वीकारते हुए निर्णय पारित किया था। उक्त अपास्त की गई शास्ति को विभाग द्वारा कर बोर्ड में अपील संख्या 633/2016 द्वारा चुनौती दी गई है।
8. राजस्थान कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्रों पर पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पिटीशन संख्या 5458/2016 प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.05.2016 द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन को खारिज करते हुए कर बोर्ड को प्रकरण चार सप्ताह में निस्तारित करने के निर्देश दिये। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में दिनांक 01.07.2016 को प्रकरण पर उभयपक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई एवं प्रकरण निर्णय हेतु आरक्षित किये गये।
9. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
10. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने DGCEI से प्राप्त सूचना के आधार पर व्यवसायी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 25 के तहत निर्धारण कार्यवाही की है। प्रकरण में विभाग द्वारा व्यवहारी का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, न ही कोई जांच की गयी है। अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी अन्य व्यवहारी के पर्चों/दस्तावेजों में अंकित संव्यवहारों को प्रमाणित किये बिना व्यवहारी पर दायित्व होना प्रमाणित नहीं होता है, विशेषतः ऐसी स्थिति में जब अपीलार्थी व्यवहारी को प्रतिपरीक्षण का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया। अपने उक्त तर्क के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि उक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी किसी अन्य व्यक्ति के पास पाये गये दस्तावेजों के आधार पर बिना सत्यापन अपीलार्थी व्यवहारी से संबंधित संव्यवहार होना मानकर, किया गया करारोपण विधिसम्मत नहीं है।

- 1- Girdhari Lal Nannelal Vs The Sales Tax Commissioner M.P. 39 STC 30 (SC)
- 2- P.C. Ittymathew and sons V s Deputy Commissioner of sales Tax 121 STC 1
- 3- Arya Abhushan Bhandar Vs Union of India 2002 ELT 143 (SC)
- 4- CTO Vs Haryana Dal Mills 1991 Tax World 369 (SC)
- 5- Deputy Commissioner of Agriculture Income Tax and Sales Tax Ernakulam Vs Smt. L.Yogeshwari Ammal and others 32 STC 164 (KHC)
- 6- State of Tamil Nadu Vs Ramnathan and others 27 VST 198
- 7- CTO Vs Rajasthan Vanaspati Products, Bhilwara 11 STA 43 (RTB)
- 8- Asst Commissioner Circle B Bhiwadi Vs M/s Beriwal Casting Industries Ltd. S.B. Sales Tax Revision Petition No. 492/2011 dated 26-08-2014
- 9- Rhino Rubber P. Ltd. Vs CCE 1996 (85) ELT 260

माननीय न्यायालयों के उक्त उद्धरण प्रस्तुत कर उन्होंने तर्क दिया कि सशक्त अधिकारी ने DGCEI से प्राप्त दस्तावेजों के संबंध में न तो उनको प्रतिपरीक्षण का अवसर दिया न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। तृतीय पक्ष से प्राप्त सूचना के आधार पर जबकि अपीलार्थी व्यवहारी का न तो विधिनुकूल सर्वेक्षण, माल का सत्यापन व जांच नहीं की गई है, केवल अवधारणाओं के आधार पर किया गया कर निर्धारण अविधिक है।

11. विद्वान अधिवक्ता ने पुनः कथन किया कि अपीलार्थी के विरुद्ध लगाये गये आरोप के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी एवं तृतीय पक्ष से प्राप्त अन्यथा प्राप्त सामग्री तथा

Am.../19/09/16

लगातार.....5

दस्तावेज उनको संप्रेषित नहीं किये गये। साथ ही तर्क किया कि अपीलार्थी के यहां से माल का विक्रय या, कच्चे माल का क्रय अथवा पावर के उपयोग का सत्यापन किये बिना स्वैच्छाया मनमाने तौर पर उनकी पीठ पीछे माल के विक्रय को प्रमाणित माना गया, जो पूर्णतया विधिविरुद्ध है। विधिसम्मत प्रक्रिया की पालना किये बिना जांच अधिकारी व सशक्त अधिकारी द्वारा कार्य किया गया है, वह अविधिक है। इस संबंध में पुनः ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को हवाला देते हुये यह तर्क दिया गया है कि तृतीय पक्ष मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बिना स्वतंत्र जांच, परीक्षण, प्रतिपरीक्षण एवम् सत्यापन के करारोपण किया जाना विधिक एवम् न्यायिक रूप से निषिद्ध है। उक्त विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया जाना बताया कि किसी अन्य विभागीय कार्यवाही से वाणिज्यिक कर विभाग के सशक्त अधिकारी सीधे ही करारोपण करने के बजाय स्वयं के स्तर पर उच्चन्त क्रय विक्रय साबित होने पर ही करारोपण कर सकते हैं।

12. विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तृतीय पक्ष मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी अजमेर के रिकॉर्ड से अपीलार्थी की करारोपण तय करना विधिसम्मत नहीं है। तृतीय पक्ष के रिकॉर्ड के आधार पर अपीलार्थी के माल का विक्रय होना प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा माल के डिस्पेच के लिये ट्रक की व्यवस्था के लिये फोन करने पर रजिस्टर में अंकित करने एवम् अनुमानित वजन लिखने मात्र से माल का भिजवाया जाना प्रमाणित नहीं होता है। ट्रांसपोर्ट कम्पनी को ट्रकों की व्यवस्था हेतु अग्रिम आदेश दिया जाना सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया है।

कथन किया कि ट्रांसपोर्ट के रजिस्टर में ट्रक नंबर या वजन लिखा मानने के पश्चात् यह आवश्यक है था कि माल की बिल्टी बनायी जाती परन्तु ऐसी कोई बिल्टी बनाना प्रमाणित नहीं है। इस तरह केवल वाहन संख्या और वजन अंकित पाये जाने से माल का डिस्पेज, प्रमाणित नहीं होता है। अतः बिना करारोपण प्रमाणित किये ही करारोपण आचौत्यहीन है। अतः विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा सशक्त अधिकारी के आदेश को यथावत रखाना विधिनुकूल नहीं होने से निरस्तनीय है।

13. विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कथन किया कि ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक से बयान जांच अधिकारी द्वारा लिये गये है उसमें भी स्पष्ट है कि माल डिस्पेच के बारे में फोन पर वाहन बुक किये जाते है माल की मात्रा केवल ट्रांसपोर्ट कम्पनी की पंजीकाओं में इसलिये अंकित की जाती है कि माल के वजन के अनुरूप वाहन की व्यवस्था की जा सके तथापि कई बार उक्त बुकिंग निरस्त हो जाती है अथवा अन्य वाहन तत्समय उपलब्ध होता है उसमें माल डिस्पेच कर दिया जाता है अतः यह बिक्री अथवा डिस्पेज का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है। अतः ट्रांसपोर्ट कम्पनी की पंजीकाओं में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर बिना संव्यवहारों को प्रमाणित किये बिक्री मान लेना उपर्युक्त न्यायिक उद्धरणों में दी गई व्यवस्थाओं के विरुद्ध होने से अविधिक है। जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी ने विवादित ट्रांसपोर्ट कम्पनी की पंजीकाओं से प्राप्त प्रविष्टियों को प्रमाणित नहीं किया है कि उक्त माल का कथित संव्यवहार किसको किया गया है अतः यह केवल अवधारणाओं के आधार पर बिक्री डिस्पेज मानकर अविधिक करारोपण किया गया है, जो अपास्तनीय है।

Amrinder
19/09/16

H लगातार.....6

14. विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अधिनियम की धारा 61 में आरोपित शास्ति को भी अपास्त करने का अनुरोध किया क्योंकि अपीलार्थी द्वारा विक्रय के समस्त संव्यवहारों को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर, सद्भाविक रूप से विवरणियां प्रस्तुत की है जिनमें किसी प्रकार की विक्रय की विगत को छुपाया नहीं गया है। अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण उन परिस्थितियों में ही हो सकता है जबकि दुराश्य के मनोभाव से अपीलार्थी द्वारा कर का अपवंचन किया हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-

- 1- M/s Hindustan Steel Ltd Vs State of Orissa 25 STC 211
- 2- M/s Cement Marketing Co. of India Ltd. Vs Assisstant Commissioner of Sales Tax 1980 45 STC 197
- 3- ACTo Vs Kumawat Udyog Ltd. 97 STC 238
- 4- CTO AC Zone-I, Jaipur VS Shayam Agency S.B Sales Tax Petition 42/2014 dated 26-08-2014
- 5- 23 VST 249 (SC)
- 6- 143 STC 663. (RHC)
- 7- 27 Tax Update 43
- 8- 25 Tax Update 189 (RTB)
- 9- 322 ITR 158(SC).

इस प्रकार, उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्तियां अपास्त कर, उक्त बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

15. इसी प्रकार अधिनियम की धारा 55 के तहत आरोपित ब्याज राशि का विरोध करते हुये कथन किया कि चूंकि अपीलार्थी पर अतिरिक्त कोई कर देयता नहीं थी उन्होंने विवरणियों में दर्शाये गये कर योग्य पण्यवर्त पर देय होने वाले कर की राशि जमा करवा दी थी। उन्होंने यह भी कथन किया कि किसी भी स्थिति में कर राशि की संगणना करने एवं दायित्व निर्धारण करने पर ही ब्याज आरोपणीय है। अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत किये गये :-

- 1- Ms J.K. Synthetics Vs State of Rajasthan reported in 94 STC 422 (SC)
- 2- Ms E.I.D Parry Limited Vs ACTO, (2005) 141 page 12 (SC)

उक्त उद्धरण प्रस्तुत कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसरण में ब्याज राशि को अपास्त करने का अनुरोध किया। इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अवर अधिकारियों के अविधिक आदेशों को निरस्त कर दोनों अपीलें स्वीकार करने का निवेदन किया।

16. विभागीय प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेशों का भी समर्थन किया उन्होंने तर्क दिया कि अन्य विभाग द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल से प्राप्त दस्तावेज के सत्यापन बाबत व्यवहारी को सुनवाई के अवसर दिये गये परन्तु उक्त आरोपण की सीमा तक वह संव्यवहारों का सत्यापन नहीं करवा सका। उक्त साक्ष्य व्यवहारी से ही संबंधित थे अर्थात व्यवहारी द्वारा किये जाने वाले डिस्पेज, ट्रांसपोर्ट से बुक किये जाने वाले वाहन माल की मात्रा इत्यादि के संबंध में अपीलार्थी ने कोई समुचित जवाब नहीं दिया। उक्त विवादित दस्तावेज साक्ष्य में इसलिये लिये जा सकते हैं क्योंकि यह उनके व्यवसाय से संबंधित ही है किसी अन्य विभाग अथवा संस्थान से साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई का अवसर देकर अपीलार्थी

Amiul
19/09/16

लगतार.....7

के संव्यवहारों को सत्यापित करवाया जाना था जो उनके द्वारा नहीं किया गया एवं वित्तीय वर्ष 10-11 के तहत धारा 75(8) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 28,89,377/- के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश का विरोध करते हुए इस बिन्दु पर प्रस्तुत विभागीय अपील संख्या 633/2016 को स्वीकार करने व व्यवहारी की दोनों अपीलों को खारिज करने का निवेदन किया।

17. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में अभियोग की संस्थापना अपीलार्थी फर्म के विरुद्ध DGCEI द्वारा दिनांक 14.09.2010 व 15.09.2010 को किये गये सर्वे एवम् सर्च में प्राप्त किये गये दस्तावेजों एवम् अपीलार्थी के ट्रांसपोर्ट कम्पनी मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी की जांच में पाये गये डिस्पैच रजिस्टर के आधार पर की गयी है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कथन एवम् दिये गये तर्क तथा न्यायिक निर्णय मूलतः इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि तृतीय पक्ष की जांच में पाये गये दस्तावेजों के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध मांग कायम नहीं की जा सकती। अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों को प्रौढरित किया है जिसमें तृतीय पक्ष के दस्तावेजों अथवा जांच के आधार पर करारोपण की कार्यवाही करना विधिसम्मत नहीं बताया गया है। विभिन्न न्यायिक निर्णयों में मुख्य रूप से यह निर्णित किया गया है कि विभाग की स्वतंत्र जांच के बिना किसी अन्य विभाग की जांच के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकती।

18. समस्त तर्कों एवम् प्रौढरित न्यायिक निर्णयों के अवलोकन से यह निष्कर्षित है कि विभाग द्वारा बिना स्वतंत्र जांच कर कार्यवाही किया जाना विधिसम्मत नहीं है। उक्त अपीलों में यह निर्विवादित तथ्य है कि DGCEI द्वारा जो रजिस्टर अभिग्रहित किये गये थे उनकी प्रतियां जांच अधिकारी द्वारा प्राप्त की गयी थी एवम् प्राप्त दस्तावेजों की स्वतंत्र जांच के लिये अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर जा कर अपीलार्थी फर्म के डायरेक्टर श्री सुनील पोखरणा एवम् अपीलार्थी के ट्रांसपोर्टर मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक श्री मोईन खान से पूछताछ की गयी थी, उसके पश्चात् डिस्पैच रजिस्टर में कतिपय प्रविष्टियां अंकित थी, जिसमें सम्बन्धित माल का गमनागमन, जो कि डिस्पैच रजिस्टर में दर्ज किया गया था, उसके बिल जारी नहीं पाये गये। ट्रांसपोर्टर के मालिक द्वारा यह स्वीकार किया गया था कि उनकी कम्पनी द्वारा अपीलार्थी का माल परिवहनीत किया जाता है एवम् उनके आदेशानुसार ही माल ट्रकों में भिजवाया जाता है। इस तरह सशक्त अधिकारी द्वारा जांच की जाकर वर्ष 2009-10 में 8644.989 मैट्रिक टन एवम् वर्ष 2010-11 में 55614.2 मैट्रिक टन माल ऐसा पाया गया जो ट्रांसपोर्ट कम्पनी के जरिये डिस्पैच हुआ था, परन्तु उक्त के बिल जारी नहीं थे। तथापि इनमें खरीददार फर्मों के नाम, माल का विवरण व मात्रा वाहन संख्या तथा तिथि इत्यादि सूचनाएं उपलब्ध थी परन्तु जांच अधिकारी अथवा सक्षम अधिकारी ने बिना जांच किये ही केवल DGCEI की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त विक्रय मानकर करारोपण कर दिया।

19. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि DGCEI की द्वारा अभिग्रहित रिकार्ड जिसकी छाया प्रतियां प्राप्त कर सशक्त अधिकारी ने अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की है, इसका सरसरी तौर पर अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी कामधेनू इस्पात लिमिटेड से दिनांक 01.07.2006 के इकरारनामे के तहत कामधेनू ब्राण्ड सरिया निर्माण कर रहा है।

Amrutha
19/09/16

for लगातार.....8

जिस पर 150 प्रति मैट्रिक टन सरिये कि बिक्री पर देय है समस्त विनिर्मित माल डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बिक्रीत किया जाता है सिवाय स्थानीय अजमेर तथा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल से सीधी बिक्री की जाती है। मैसर्स राजस्थान स्टील, भीलवाडा भी निर्मित माल का एक डिस्ट्रीब्यूटर है। दस्तावेजों में मैसर्स मालवा आयरन स्टोन, रेल्वे ओवर ब्रीज के पास, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर, मैसर्स श्री श्याम स्टीलस पडाव एरिया, अजमेर, मैसर्स फकरी स्टील, एफ.सी.आई भीलवाडा तथा ध्रुव एन्टरप्राइजेज, अजमेर रोड भीलवाडा से सम्बन्धित संव्यवहारों का विवरण अंकित पाया गया है। इसके अलावा पाये गये एक्सपोर्ट क्वालिटी नोट बुक भी अभिग्रहित दस्तावेजों में है, जिसमें ईगट के उत्पादन का विवरण अंकित है। DGCEI के दस्तावेजों के अनुसार एम.एस. स्क्रैप के आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा निम्न चार्ट के अनुसार माल आपूर्ति किया गया परन्तु उक्त माल अपीलार्थी व्यवहारी के लेखा पुस्तकों में नहीं पाया गया।

Details of Invoices of MS Scrape recovered from the factory of M/s Raghuvver Metal which have not been accounted in their From IV Register as on date of search i.e. 14-15/09/2010			
Sr.No.	Suppliers Name	Invoice No.	Date
1.	Soniya Steel Falna	53	09.08.2010
2.	Super Scrape Traders, Saroopganj	18	14.08.2010
3.	Rama Krishna Traders, Ajmer	2860	24.08.2010
4.	Ganpati Scrape, Bewar	93	30.08.2010
5.	Shree Enterpirses, Swaroopganj	43	02.09.2010
6.	do	41	01.09.2010
7.	Shree Enterprises, Swaroopganj	46	02.09.2010
8.	R.K. Scrap Traders, Abu Road	42	04.09.2010
9.	Guru Kripa Scrap Traders, Ajmer	87	13.09.2010
10.	Ajmer Irom Industries, Ajmer	303	13.09.2010
11.	Mangalam Steels, Bewar	29	13.09.2010
12.	Super Scrape Traders, Saroopganj	26	12.09.2010
13.	Super Scrape Traders, Saroopganj	21	12.09.2010
14.	Ganpati Scrape, Bewar	97	13.09.2010
15.	WEIGHING SLIP	13436	13.09.2010
16.	shri Enterprises, Saroopganj	25	20.07.2010
17.	shri Enterprises, Saroopganj	41	01.09.2010
18.	shri Enterprises, Saroopganj	43	02.09.2010
19.	shri Enterprises, Saroopganj	46	02.09.2010

20. इसके अलावा अभिग्रहित दस्तावेजों के अनुसार राज्य की कई फर्मों से व्यवहारी द्वारा कच्चा माल स्क्रैप क्रय किया गया है परन्तु इसके बारे में सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश में कोई विवरण अंकित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त मैसर्स बजरंग स्टील के श्री बंशीलाल के बयान दिनांक 01.09.2011 के अनुसार 136 संव्यवहारों की विगत के संबंध में कोई जानकारी कर निर्धारण आदेश में अंकित नहीं है। मैसर्स न्यू विकास ट्रांसपोर्ट, अजमेर के अलावा मैसर्स ख्वाजा गरीब नवाज ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा भी माल का परिवहन किया जाना भी स्पष्ट है परन्तु इसके बारे में कोई जांच नहीं की गई है। अगर DGCEI से प्राप्त दस्तावेजों का अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि राज्य की ही कई फर्मों जो कि इन दस्तावेजों में अंकित है के साथ अपीलार्थी फर्म के संव्यवहार पाये गये हैं सशक्त अधिकारी द्वारा इनका सत्यापन करने का कोई विवरण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। सशक्त अधिकारी, DGCEI के अधिकारियों द्वारा अन्वेषित अधिक व अघोषित पाये गये

Amir-ul-Hu.
19/09/16

H

लगातार.....9

माल व बिना बिल के बिक्री किये गये माल की मात्रा व कीमत को अपवंचित बिक्री मानकर करारोपण किया है। परन्तु बिना सत्यापन के केवल अन्य विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पाये गये निष्कर्षों के आधार पर मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम के तहत शास्ति व करारोपण करना उचित नहीं जान पड़ता है। सशक्त अधिकारी ने मैसर्स कामधेनू इस्पात लि० को प्रदत्त रॉयल्टी की मात्रा तथा विद्युत पावर के उपभोग की मात्रा का भी विवेचन नहीं किया गया है। अतः प्रथम दृष्टया यह निष्कर्ष निकलता है कि सशक्त अधिकारी ने प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर मैसर्स न्यू ट्रांसपोर्ट कम्पनी अजमेर के मालिक के बयान तथा उसके पास से बरामद दस्तावेजों की छायाप्रतियां के आधार पर विगत तैयार कर अपीलार्थी व्यवहारी को कारण बताओं नोटिस जारी कर करारोपण किया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि DGCEI के अधिकारियों ने अभिग्रहित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त फर्म के विभिन्न संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन किया गया है जो कि माल के उत्पादन/निर्माण के तथ्यों से संबंधित था। अतः सशक्त अधिकारी से भी यह अपेक्षा थी कि वे दस्तावेजों में उल्लेखित विभिन्न व्यवहारियों के संव्यवहारों की सांकेतिक रूप से ही सही कुछ व्यवहारियों की जांच कर कुछ संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन कर इसका उल्लेख कर निर्धारण आदेश में करते, परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। यद्यपि इस संबंध में विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ पत्राचार का उल्लेख पत्रावली पर है परन्तु जांच निष्कर्ष निकालकर निर्धारण आदेश में इनका उल्लेख नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी ने करापवंचित बिक्री तथा अघोषित माल का विवरण DGCEI के अधिकारियों से प्राप्त दस्तावेज एवं उनके आधार पर पाये गये निष्कर्षों के आधार पर ही लिया है।

21. ऐसे प्रकरणों में साक्ष्यों, संव्यवहारों और सत्यापन के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ दी गई है :-

माननीय उच्चतम न्यायालय सीबीआई बनाम वीसी शुक्ला व अन्य, निर्णय दिनांक 02.03.1998 के न्यायिक दृष्टांत में यह निर्णित किया है कि :-

"In Beni Vs. Bisan Dayal [A.I.R.] 1925 Nagpur 445" it was observed that entries in books of account are not by themselves sufficient to charge any person with liability, the reason being that a man can not be allowed to make evidence for himself by what he chooses to write in his own books behind the back of the parties, There must be independent evidence of the transaction to which the entries relate and in absence of such evidence no relief can be given to the party who relies upon such entries to support his claim against another. In Hira Lal Vs. Ram Rakha [A.I.R. 1953 Pepsu 113] the High Court, while negating a contention that it having been proved that the books of account were regularly kept in the ordinary course of business and that, therefore, all entries therein should be considered to be relevant and to have been proved, said that the rule as laid down in Section 34 of the Act that entries in the books of account regularly kept in the course of business relevant whenever they refer to a matter in which the court has to enquire was subject to the salient proviso that such entries shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability. **It is not, therefore, enough merely to prove that the books have been regular/kept in the course of business and the entries therein are correct. It is further incumbent upon the**

Am. S. Sharma
19/04/16

h

person relying upon those entries to prove that these were in accordance with facts. The evidentiary value of entries relevant under Section 34 was also considered in Hiralal Mahabir Pershad (Supra) I.D. Dua.] (as he then was) speaking for the Court observed that such entries though relevant were only corroborative evidence and it is to be shown further by some independent evidence and it is to be shown further by some independent evidence that the entries represent honest and real transactions and that monies were paid in accordance with those entries.

A conspectus of the above decisions makes it evident that even correct and authentic entries in books of account cannot without independent evidence of their trustworthiness, fix a liability upon a person.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की व्याख्या करते हुए निम्न प्रकार सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं :-

"Section 3 declares that a fact relevant to another when it is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of the Act relating to the relevancy of facts, and those provisions are to be found in sections 6 to 55 appearing in Chapter II. Section 5, with which Chapter II opens, expressly provides that evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and the facts declared relevant in the aforesaid section, and of no others. Section 34 of the Act reads as under :-

"Entries in books of account when relevant - Entries in book of account, regularly kept in the course of business, are relevant wherever they refer to a matter into which the court has to inquire but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability."

in the course of business. From the above section it is also manifest that even if the above requirements are fulfilled and the entry becomes admissible as relevant evidence, still, the statement made therein shall not alone be sufficient evidence, to charge any person with liability. It is thus seen that while the first part of the section speaks of the relevancy of the entry as evidence, the second part speaks, in a negative way, of its evidentiary value for charging a person with a liability. It will, therefore, be necessary for us to first ascertain whether the entries in the documents, with which we are concerned, fulfil the requirements of the above section so as to be admissible in evidence and if this question is answered in the affirmative then only its probative value need be assessed.

कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा मैसर्स श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स बनाम वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, 7 टैक्स अपडेट 341 में इसी प्रकार के तथ्यों पर विचार कर, निम्न प्रकार निर्णित किया है कि :-

"The learned AA could also have established connection of the appellants with the entries made in it by producing some of the customers whose names were found it to testify that the evidenced by the entries were transacted by them with the appellants. Thus, having failed to establish that the slip pad recovered by him represented the hidden and unaccounted transactions of sale or purchase by the appellants, learned A A seems to have gone wrong while levying tax, interest and

Amrinder Singh
19/09/16

लगातार.....11

penalty on the sales just presumed by him in this case merely on the sole basis of a statement of Shri Shyam Dhoot which, for want of other corroborative evidence on record, had no force in law. therefore, learned DC (Appeals) also appears to have committed an error in upholding illegal levy of tax, interest and penalty (u/s 65 of the Act) on such presumed sales contrary to law.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में ही यह प्रतिपादित किया गया है कि :-


"Strong suspicion, strange coincidences and grave doubts cannot take the place of legal proof. To establish the charges against the respondents, it was essential for the prosecution to establish that the secret books of account related to the business transaction carried on by the respondent and none else."

The connection of the respondents with the entries in the books could also have been established by producing some of the customers whose names were found in the books of testify that the deals evidenced by the entries were transacted by them with the respondents.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने Asstt. Commissioner Circle-B, Bhiwadi Vs M/s Beriwal casting Industries Ltd. Sales Tax Revision Petition No. 492/2011 Order date August 26, 2014. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि :-

".....Further the essential difference between valuation for purposes of levy of excise duty on the one hand and sales tax on the other was not kept in mind. Reference in this regard, emphasizing the difference in the manner of valuation for levy of excise duty on the one hand and for levy of sales/turnover tax on the other, can be made to the judgment of the Hon'ble Supreme Court in Moriroku UT India (P) Ltd. Vs State of UP [(2008) 4 SCC 548] wherein it was held that in the case of excise law, the taxable event is manufacture, which is not related to a commercial transaction. On the other hand, commercial transaction is the basis of the price structure in the sales tax laws. the levy of excise duty is on manufacture while levy of sales tax by its very nature arises at the stage beyond manufacture, i.e. the sale of the article. Para 23 of the opinion of the Hon'ble Supreme Court is reproduced herein below :-

"On the other hand, excise duty is levy on a taxable event of "manufactured" goods. Excise duty is not concerned with ownership or sale. The liability under the excise law is event based and irrespective of whether the goods are sold or captively consumed. Under the excise law. the liability is there even when the manufacturer is not the owner of raw material or finished goods (as in the case of job-workers.) Excise duty, therefore, is independent of ownership [see Ujagar Prints (II) V. Union of India [(1989) 3 SCC 488]. Therefore, for sales tax purposes, what has to be taken into account is the consideration for transfer of property in goods from the seller to the buyer. For this purpose, tax is to be levied on the agreed consideration for transfer of property in the goods and in such a case cost of manufacture is irrelevant. As compared to the sales tax law, the scheme of levy of excise duty is totally different."


19/09/16



लगातार.....12


It is thus apparent that no extrapolation for determination of liability under the 1954 Act can not be made on this basis of determination of liability under the Central Excise Act, 1944 Act is a self contained code for determination of tax liability thereunder. When warranted, its processes are necessarily to be independently resorted to, inquiry held and principles of natural justice complied with before fastening of any liability originally assessed, or relating to escapement of tax.”


22. उपरोक्त निर्णयों में दी गई व्यवस्था के अनुसार सशक्त अधिकारी द्वारा DGCEI द्वारा अभिग्रहित दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्राप्त कर सम्बन्धित ट्रांसपोर्ट कम्पनी के मालिक से बयान तथा अपीलार्थी से कारण बताओं नोटिस के आधार पर करारोपण किया जाना विधिनुकूल नहीं माना जा सकता। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं मूल्य परिवर्धित कर में कर देयता का बिन्दु महत्वपूर्ण है केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विनिर्माण के बिन्दु पर तथा मूल्य परिवर्धित कर, बिक्री के बिन्दु पर कर देयता बनती है। अतः बिक्री को सुस्थापित करना सक्षम अधिकारी की जिम्मेदारी थी जिसको उनके द्वारा निर्वहन नहीं किया गया है। अलबता आदेश स्वयमेव ही आख्यापक आदेश (speaking order) नहीं है अतः जिसमें किसी भी करारोपित बिक्री को सत्यापित किये जाने का उल्लेख नहीं है। अतएव उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किया जाना विधिक नहीं माना जा सकता है। अतः सशक्त अधिकारी के आदेश को निरस्त कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्राप्त दस्तावेजों व अपीलार्थी व्यवहारी तथा सम्बन्धित ट्रांसपोर्ट कम्पनी तथा DGCEI से अन्य प्राप्त दस्तावेजों में अंकित प्रविष्टियां, जिसमें फर्मों का विवरण अंकित है की जांच कर क्रय एवं विक्रय का सत्यापन कर करारोपण करें एवं उक्त क्रय विक्रय यदि असत्यापित पायी जाती है तो तदनुरूप शास्ति आरोपण भी करे।

जहां तक अपील संख्या 633/2016/अजमेर का प्रश्न है जो अधिनियम की धारा 75(8) के तहत सशक्त अधिकारी द्वारा आरोपित की गई शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त कर दिये जाने से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, में यह उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी/सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल पर रखे गये माल का सत्यापन नहीं किया गया है एवं लगभग 4 वर्ष पश्चात DGCEI के अधिकारियों द्वारा लेखा पुस्तकों से आंकलित माल को अघोषित मानकर शास्ति आरोपण किया गया है, जो अधिनियम की धारा 75 के प्रावधानों एवं उसके अधीन विहित नियमों के अनुरूप नहीं है। उक्त धारा के तहत स्वयं विभाग की जांच पर ही माल अधिक पाये जाने पर शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। उक्त आरोपित शास्ति पूर्व में ही विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक मानकर समाप्त कर दी गई थी। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी का आदेश यथावत रहेगा।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी व्यवहारी की अपील संख्या 169/2016 एवं 170/2016 स्वीकार कर प्रकरण सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित की जाती हैं एवं विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 633/2016 अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(राजीव चौधरी)
सदस्य


(मदन लाल)
सदस्य